

आदेश

उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद,बागेश्वर में जनपद,बागेश्वर के अंतर्गत रावतसेरा -डोबरगढा -धारी-मध्या -रैतोली मोटरमार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 2.425 है० की दुगुनी अवनत भूमि 4.850 है० जो ग्राम दुलम राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र,लोहारखेत तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-47 के पैमाईशी खेत नम्बर 4644 रकवा 13.313 है० मध्ये 4.850 है० भूमि जो श्रेणी 9 (3)ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को शासनादेश संख्या-2173/xviii (11) 2012-18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा शासकीय पत्र संख्या 08 बी/यू०सी०पी०/०६/२४८/२०१६ /एफ०सी० /१६८६ दिनांक 12.01.2018 में दी गयी शर्तों के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर ।

संख्या - 168 / छब्बीस - 13 वन / 2017-18 दिनांक 12/6/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर।
- 2- उपजिलाधिकारी,कपकोट ।
- 3- अधिशासी अभियंता,लोक निर्माण विभाग,बागेश्वर।
- 4- तहसीलदार,कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/ नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक -एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

वन भूमि विभाग

15/6/18

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

11/06/18